



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15391

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1688/2026

इल्ताफ

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 14 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: लाल बिहारी यादव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ता के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत वाद संख्या 3787/2025, कंप्यूटर वाद संख्या टी202515510303787 (अफसर अली एवं अन्य बनाम गांव सभा) में प्रतिवादी संख्या 2, उप-जिलाधिकारी, तहसील-मधुबन, जनपद मऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.12.2025 आक्षेपित है।
2. उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (4) के तहत प्रदान किए गए अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने का वैधानिक वैकल्पिक उपचार याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध है।
3. तदनुसार, वैकल्पिक निदान की उपलब्धता के आधार पर यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"